सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F. No. NCST/DEV-2330/DL/22/2023-ESDW **Dated: 04.11.2024**

To,

The Secretary,
Ministry Of Environment, Forest & Climate Change,
Government Of India,,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbagh Road New Delhi – 110 003,
E-mail: secy-moef@nic.in

The Collector & District Magistrate,
District Munger,
Collectorate Building, Fort Area,
Munger, Bihar 811201
E-mail: dm-munger.bih@nic.in

Sub: Representation dated 20.09.2023 of Ms. Priya Das, B4/162, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 regarding fake caste certificate of Shri Bharat Kumar Sharma, Member Secretary, Central Pollution Control Board, New Delhi.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the Sitting taken by **Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST, New Delhi on 03.09.2024 at 12:00 Noon** on the above mentioned subject for necessary action.

2. It is requested that Action Taken Report/Compliance Report on the recommendations of Minutes of Sitting may be furnished to this Commission within 15 days positively.

Encl: as Above.

(H.R. Meena)
Research Officer
E-Mail: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

Copy for information to: -

Ms. Priya Das,
B4/162, Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029
E-Mail: priyadas0858@gmail.com

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फा.सं. **NCST/DEV-2330/DL/22/2023-ESDW**

गैर – अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर लाभ लेने के संबंध में सुश्री प्रिया दास, बी 4/162, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली की शिकायत दिनांक 22.09.2023 के मामले में दिनांक 03.09.2024 को 12:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष हुई सिटिंग / सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक	:	03.09.2024 को 12:00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायतकर्ता सुश्री प्रिया दास से शिकायत दिनांक 22.09.2023आयोग को प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने आरोप लगया है की श्री भरत कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर भारत सरकार में सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे है। शिकायतकर्ता का दावा है कि श्री भरत कुमार शर्मा बिहार के मुंगेर जिले के लोहार समुदाय से हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत आता है, न कि अनुसूचित जनजाति (ST) के अंतर्गत। अप्रैल 2023 में CPCB के सदस्य सचिव के पद के लिए आवेदन करते समय, श्री शर्मा ने अपनी आवेदन पत्र में उल्लेख किया कि वे अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित हैं, जो कि भ्रामक जानकारी है क्योंकि बिहार में 'लोहार' जाति को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

2. आयोग द्वारा मामले में संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को नोटिस दिनांक 10.10.2023 भेजा गया जिसके सन्दर्भ में मंत्रालय से प्राप्त उत्तर दिनांक 07.11.2023 में बताया की भरत कुमार शर्मा को 06.02.1997 को एस.टी श्रेणी के तहत सहायक पर्यावरण अभियंता के पद पर सीपीसीबी में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात उनको दिनांक 20.06.2006 को पर्यावरण अभियंता, 28.09.2010 को वैज्ञानिक 'डी', 05.03.2015 को वैज्ञानिक 'ई', और 13.12.2021 को वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने एसटी श्रेणी का लाभ केवल प्रारंभिक नियुक्ति के लिए लिया और उसके बाद कभी नहीं लिया। श्री भरत कुमार शर्मा द्वारा 1997 में नियुक्ति के समय प्रस्तुत जाति प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच की गई, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, कड़गपुर, मुंगेर ने सही पाया। 2019 में सीपीसीबी में शिकायत मिली कि श्री शर्मा की नियुक्ति फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हुई

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

इसके सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया जिस पर श्री शर्मा ने 22.11.2016 और 02.05.2019 को जारी दो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें हिंदी में उनकी जाति "लोहार" और अंग्रेजी में "Lohara" लिखी है। मंत्रालय के उस जवाब की प्रति सूचनार्थ हेतु शिकायतकर्ता सुश्री प्रिया दास को भेजी गई जिसके सन्दर्भ में उन्होंने कई प्रत्युत्तर आयोग को प्रस्तुत किए इस पर प्राप्त प्रत्युत्तर तथा मंत्रालय से प्राप्त जवाब पर आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) ने दिनांक 03.09.2024 को सभी संबन्धित प्राधिकारियो के साथ आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई तय की गयी तदनुसार सभी संबन्धित को सिटिंग हेतु पत्र जारी किए गए।

3. मामले में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है की उनको पी.एम.ओ में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना है इसलिए वे सिटिंग में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उनके द्वारा अनुरोध किया गया की श्री वेद प्रकाश मिश्रा, निदेशक, जो इस मामले से भली-भांति परिचित हैं, को सचिव की ओर से सिटिंग में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदत्त करे और सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करें | श्री वेद प्रकाश मिश्रा, निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मुंगेर, बिहार और शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान सम्बंधित आधिकारियो द्वारा मामले से सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सुनवाई में सम्बन्धित अधिकारीयों ने बताया की इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *माधुरी पाटिल केस* के निर्णय के नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

चूँकि श्री भरत कुमार शर्मा के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज सम्बन्धित मंत्रालय तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुंगेर (बिहार) द्वारा आयोग को जमा नही कराये गए है अत अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण तथा सुरक्षण हेतु आयोग की कार्य प्रणाली के आधार पर इस मामले की विस्तृत जाँच हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए गए है अत आयोग की ओर से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मुंगेर एंव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई से पूर्व आयोग में जांच हेतु निम्नांकित दस्तावेजो की पूर्ति की जाए :-

1. श्री भरत कुमार शर्मा के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को 1997, 2016 तथा 2019 में प्रस्तुत अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र एवं उनके सत्यापन के दस्तावेज आयोग के समक्ष शपथपत्र पर प्रस्तुत किए जाएं।
2. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मुंगेर द्वारा वर्ष 1997, 2016 तथा 2019 में श्री भरत कुमार शर्मा को जारी किए गए अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के मूल दस्तावेज तथा प्रमाण – पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सभी दस्तावेज आयोग के समक्ष शपथपत्र पर प्रस्तुत किए जाएं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3. श्री भरत कुमार शर्मा के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों का ब्यौरा तथा मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणिक रिपोर्ट आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत किए जाए

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा श्री भरत कुमार शर्मा की सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

5. मामले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मुंगेर द्वारा श्री भरत कुमार शर्मा की पारिवारिक वंशावली तथा परिवार/कुटुंब के सभी सदस्यों के जाति प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड आयोग के समक्ष शपथपत्र पर प्रस्तुत किए जाएं। यह ब्यौरा नीचे से ऊपर के क्रम में मय टिप्पणी (नोटिंग) आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत किए जाएं।

6. मामले में आयोग कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार को नोटिस भेजकर 15 दिवस में इस बात की जानकारी मांगी जाए की बिहार प्रदेश शासन द्वारा कब- कब लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बिहार में जारी किये गए तथा सभी सम्बन्धित दस्तावेज आयोग में भेजे जाए

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(Annexure)

F. No. NCST/DEV-2330/DL/22/2023-ESDW

List of Participants of the sitting held on 03.09.2024:-

National Commission for Scheduled Tribes

S. No.	Name	Designation
1.	**Shri Antar Singh Arya**	**Hon'ble Chairperson**
2.	Shri Surat Singh	Director
3.	Shri H.R. Meena	Research Officer
4.	Shri Rahul	Investigator
5.	Shri Rahul Yadav	Legal Consultant

The Secretary,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
Government of India

S. No.	Name	Designation
1.	Shri Ved Prakash Mishra	Director, MoEFCC
2.	Shri Prasoon Tripathy	US, MoEFCC

The Collector & District Magistrate,
District Munger
Government of Bihar

S. No.	Name	Designation
1.	Shri Avaneesh Kumar Singh	DM, Munger

Petitioner

S. No.	Name	Designation
1.	Ms. Priya Das	Petitioner